

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 88/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/275

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लूम्बाराम पुत्र मोड़ाराम जाति जाट निवासी-मूलजी, की, ढाणी(जानीयाना) तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1. दुर्गाराम पुत्र मोड़ाराम 2. अमराराम पुत्र मोड़ाराम 3. ईशराराम पुत्र मोड़ाराम 4. शेराराम पुत्र मोड़ाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढाणी(जानीयाना) तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 4
3. प्रतिवादी संख्या 2,3 व 05 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 13.11.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा मूलजी की ढाणी पटवार क्षेत्र जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 142/55 रकबा 98.03 बीघा व खसरा संख्या 144/55 रकबा 149.11 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 15.9.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को वादी की हिस्सा वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जारी करने का निवेदन किया। ऐसी सूरत में माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

विहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मूलजी की ढाणी घटवार क्षेत्र जानियाना तहसील पघपदरा की खेत खसरा संख्या 142/55 रकबा 98.03 बीघा व खसरा संख्या 144/55 रकबा 149.11 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	बंरग
1	लूम्बाराम पुत्र मोडाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन-ओ.बी.सी. बैंक शाखा बालोतरा	मूलजी की ढाणी	144/55	9.3156	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	अमराराम पुत्र मोडाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा बालोतरा	मूलजी की ढाणी	142/55	7.9819	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	ईशराराम पुत्र मोडाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा बालोतरा	मूलजी की ढाणी	144/55	6.6523	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
4	दुर्गाराम पुत्र मोडाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा बालोतरा	मूलजी की ढाणी	144/55	7.9819	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
5	शेराराम पुत्र मोडाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा बालोतरा	मूलजी की ढाणी	142/55 144/55	7.9060 0.0761	बा.दो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
6	अमराराम पुत्र मोडाराम हि 1/5 ईशराराम पुत्र मोडाराम हि 1/5 दुर्गाराम पुत्र मोडाराम हि 1/5 लूम्बाराम पुत्र मोडाराम हि. 1/5 शेराराम पुत्र मोडाराम हि. 1/5 कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा बालोतरा	मूलजी की ढाणी	199/55 144/55	0.2347 0.1824	गै.मु. रास्ता बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार



(Handwritten signature)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार, पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरभीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिक्री पूर्वा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(अशोक कुमार)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखा जाकर सार-ए-इजलासा सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 88 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022 / 276

वादी
लूम्बाराम पुत्र मोडाराम
जाति जाट
निवासी-मूलजी की ढाणी (जानीयाना)
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दुर्गाराम पुत्र मोडाराम
2. अमराराम पुत्र मोडाराम
3. ईशराराम पुत्र मोडाराम
4. शेराराम पुत्र मोडाराम
जाति जाट
निवासी मूलजी की ढाणी(जानीयाना)
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 86 / 2022

निर्णय दिनांक :-

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 व 5 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 09.9.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.11.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	-----	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-----
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़ -----		जोड़ -----



[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 3.11.2014